भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3529** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026/22 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

ब्रेकवॉटर के रखरखाव में विलंब

†3529. श्री हमदुल्ला सईद :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप में ब्रेकवाटर (लहररोधक) के रखरखाव और मरम्मत में हो रही देरी से अवगत है, जिसके कारण यात्रियों और माल उतारने-चढ़ाने में कठिनाइयां हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्रेकवाटर की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके रखरखाव में देरी का यात्री आवाजाही, समुद्री सुरक्षा और जहाज सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या क्षति और रखरखाव की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कोई तकनीकी निरीक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके रखरखाव, सुदृढ़ीकरण या पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है या विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो अनुमानित लागत, आवंटित निधि और निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कल्पेनी द्वीप पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किए गए अंतरिम उपायों सहित इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र (यूटीएलए) ने लक्षद्वीप में पत्तन अवसंरचना के विकास हेतु तकनीकी सहायता/ परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए कोचीन पत्तन प्राधिकरण (सीओपीए) को शामिल किया है, जिसमें कलपेनी द्वीप पर ब्रेकवॉटर की मरम्मत और रख-रखाव भी शामिल है।

यात्री और कार्गो की सुरक्षित उतराई सुनिश्चित करने के लिए और सीओपीए द्वारा ब्रेकवॉटर के तकनीकी निरीक्षण और आकलन के आधार पर, यूटीएलए ने कलपेनी द्वीप के मौजूदा पूर्वी ब्रेकवॉटर पर 2.37 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आवश्यक मरम्मत कार्रवाई करने की सहमति दी है। सीओपीए ने मरम्मत अवधि के दौरान यात्रियों और कार्गो की सुरिक्षत हैंडलिंग हेतु एक एसओपी तैयार की है।

इसके अतिरिक्त पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कलपेनी के पूर्वी जेट्टी और उससे संबंधित अवसंरचना के व्यापक विकास हेतु सागरमाला योजना के तहत 272.95 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना को पूरा करने की समय- सीमा 42 माह है।
